No. 1/54/2019-E.III/146-49
Government of India
Central Water Commission

3rd floor,, Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi-110 066 Dated, the 7 .7.2021

ORDER

In accordance with Ministy of Finance (Department of Expenditure) O.M.No.F.15(3)/78-WIP.,dated 31.10.80,sanction is hereby accorded to the payment of Rs.75,496/-(Rupees Seventy five thousand four hundred ninety Six only) Shri Hans Narayan Tiwari, Assistant Director,who retired form service on 30/04/20201 towards the full and final payment due under saving component (including interst) of subscription to Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980.

Sh. Hans Narayan Tiwari, Assistant Director, was a member of CGEGIS, 1980 w.e.f.1.1.84. Subscription for the scheme was recovered from him as per record in service book from 1.1.1984. to 31.12.89. @ Rs.20/-p.m., from 1.1.1990. to 31.12.2012 @ Rs.30/- p.m., from 1.1.2013. to 31.12.2019 @ Rs.60/- p.m. & from 1.1.2020 to 30.04.2021. @ Rs. 120/-

The above amount is chargeable to: 8011001030100- Savings funds.CGEGIS-1980 (Minor Head) Insurance Fund (Sub Head).

(SEEMA JUNEJA)

SECTION OFFICER TEL.29583319

TO

Pay & Accounts Office, CWC, New Delhi.

Copy to:-

- 1. Section Officer,A/C.III Section, CWC, New Delhi. (2 Copey)
- 2. Sh. Hans Narayan Tiwari, Assistant Director, Traning Dte. CWC New Delhi (Retd)
- 3 Uploading in the CWC, website

सं0 1/54/2019 —स्था0 तीन/14**9_**45 भारत सरकार केन्द्रीय जल आयोग

तीसरी मंजिल, सेवा भवन, आर0 के0 पुरम, नई दिल्ली –66 दिनांक **7** .07. 2021

आदेश

श्री हंस नारायण तिवारी, सहा० निदे०, दिनांक 30/04/2021 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो गये है। सेवानिवृत्ति की तिथि को उनके खाते में 300 + 2 दिनों का अर्जित अवकाश एवं 41 दिन का अर्धवेतन अवकाश शेष है।

केन्द्रीय सिविल सेवा (छुटटी) नियम, 1972 के नियम 39 (2) के अनुसरण में श्री हंस नारायण तिवारी, सहायक निदे0, को 300 दिन के उपलब्ध अवकाश एवज में रू0 10,65,870/— (रू0 दस लाख पैंसठ हजार आठ सौ सत्तर रूपये केवल) की नकद अदायगी करने के आदेश एतद द्वारा किये जाते हैं। सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात दिनांक 30/04/2021 को श्री हंस नारायण तिवारी का मूल वेतन रू0 91100/—के रूप में प्राप्त कर रहे थे।

यह खर्च मुख्य शीर्ष 2071—Retirement & Pensionary Benefits, 01-Civil-167- Leave Encashment Benefits हैड के अंतर्गत व्यय होगा ।

संलग्न : सेवा पुस्तिका (कुम संख्या-1)

अनुभाग अधिकारी

सेवा में

वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि :-

- 1 अनुभाग अधिकारी लेखा तीन –के० ज० आ०,नई दिल्ली। (२ प्रति)।
- 2 श्री हंस नारायण तिवारी,सहा० निदे० (सेवानिवृत्त) प्रशिक्षण निदे०, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
- 3. uploading in the CWC, website.